<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>24/07/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने **रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य से संबंधित मामले में** धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22.07.2026 को जारी अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयरधारकों तथा उससे संबद्ध संस्थाओं की लगभग **1,906 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन वास्तविक धन (रियल मनी) से खेले जाने वाले रम्मी गेम के खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के सृजन एवं उसके धन शोधन से संबंधित जांच के क्रम में की गई है।

अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि, सावधि जमा (एफडी), म्यूचुअल फंड, कन्वर्टिबल नोट्स, इक्विटी शेयर, एक फार्महाउस तथा मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों, उनके परिवार के सदस्यों, निजी पारिवारिक ट्रस्टों एवं विभिन्न संबद्ध संस्थाओं के नाम पर स्थित अनेक आवासीय एवं वाणिज्यिक अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच तेलंगाना राज्य में विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत धोखाधड़ी के अपराधों से संबंधित दर्ज अनेक एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की थी, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

पूर्व में, ईडी ने 07.05.2026 से 13.05.2026 तथा 20.06.2026 से 21.06.2026 के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर तथा इसके निदेशकों एवं प्रमुख कर्मचारियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की थी। इन तलाशी कार्रवाइयों के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जब्त किए गए, जो जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आए।

अब तक की जांच से पता चला है कि मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड विभिन्न ब्रांडों, जिनमें रम्मीकल्चर, रम्मीप्राइम, प्लेशिप तथा रम्मीटाइम शामिल हैं, के माध्यम से मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन वास्तविक धन वाले गेम (आरएमजी), विशेषकर ऑनलाइन रम्मी गेम एवं टूर्नामेंट संचालित कर रही थीं। इन प्लेटफॉर्मों के देशभर में लगभग 3 करोड़ उपयोगकर्ता थे। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता उन राज्यों से थे, जहां ऑनलाइन वास्तविक धन वाले गेम प्रतिबंधित हैं, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु शामिल हैं। इन कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई दांव राशि पर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक प्लेटफॉर्म कमीशन लेकर भारी राजस्व अर्जित किया।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया जाता था कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पारदर्शी, निष्पक्ष तथा स्वचालित खिलाड़ियों (बॉट्स) से मुक्त हैं, जबकि कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं की जानकारी एवं सहमति के बिना उनके विरुद्ध बॉट्स (स्वचालित प्रोग्राम/एल्गोरिद्म) का उपयोग किया। **बॉट्स के उपयोग के कारण उपयोगकर्ताओं को भारी वित्तीय हानि हुई, जबकि कंपनियों ने इससे अपराध की आय अर्जित की।**

जांच से यह भी सामने आया कि कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने एवं उन्हें प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए भ्रामक एवं लत उत्पन्न करने वाली रणनीतियां अपनाईं। नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए लगभग 1,035 करोड़ रुपये विपणन एवं प्रचार अभियानों पर व्यय किए गए। नए उपयोगकर्ताओं को बोनस, रेफरल प्रोत्साहन, निःशुल्क टूर्नामेंट प्रवेश तथा प्रचारात्मक पुरस्कार देकर लगातार खेलने एवं अधिक धन जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। कंपनियों ने कुछ मामलों में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक निकासी शुल्क लगाने जैसी प्रतिबंधात्मक निकासी व्यवस्था भी लागू की तथा 'सुपर बूस्टर'

ऑफर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को निकासी योग्य राशि को गैर-निकासी योग्य 'गेम कैश' में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया। भारी वित्तीय हानि के कारण खेल छोड़ चुके निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को भी तत्काल नकद क्रेडिट, प्रचारात्मक ऑफर, पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस अभियान एवं टेलीमार्केटिंग कॉल के माध्यम से पुनः खेलने के लिए प्रेरित किया गया। **कंपनियों की इन अनुचित गतिविधियों ने ऐसा व्यसनी गेमिंग वातावरण तैयार किया, जिससे बार-बार दांव लगाने को बढ़ावा मिला और कंपनियों ने प्लेटफॉर्म कमीशन के रूप में भारी मात्रा में अपराध की आय अर्जित की।**

आगे की जांच से यह भी पता चला कि **उपरोक्त गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को बाद में लाभांश भुगतान एवं शेयरों की बाय-बैक प्रक्रिया के माध्यम से लेयरिंग कर वैध स्वरूप प्रदान किया गया।** इसके बाद इन धनराशियों को म्यूचुअल फंड, बॉण्ड, कन्वर्टिबल नोट्स, इक्विटी शेयर, चल संपत्तियों तथा उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों, जिनमें पारिवारिक ट्रस्टों एवं संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से धारित संपत्तियां भी शामिल हैं, में निवेश कर छिपाया गया तथा उन्हें बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया।

पूर्व में तलाशी के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत लगभग **495 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियां फ्रीज की गई थीं**। इसके अतिरिक्त 11 लाख रुपये नकद तथा लगभग 2.30 किलोग्राम वजनी सोना/हीरे के आभूषण एवं बुलियन भी जब्त किए गए थे। इस प्रकार, जांच के दौरान **अब तक कुर्क, फ्रीज एवं जब्त की गई अपराध की आय का कुल मूल्य लगभग 2,401 करोड़ रुपये** हो गया है।

आगे की जांच जारी है।